National Highways Authority of India

Regional Office - West U.P., Lucknow

Ref No 19001/1/RO-W-UP/OFC/NOC/ 1154 Date: 17.08.2017

Sub: Proposal for NOC for Laying of underground OFC by M/s Bharat Sanchar Nigam Ltd. from Km 189.4 (Rampur Bypass) to Km 237.4 (Bypass Before Bareilly) on along with NH-24 (New NH-530) for a total length of 48000 meters in the State of Uttar Pradesh.

Ref: PD, PIU MBD letter no. 14011/2/BSNL/2017/PIU-MBD/17821 dated 18.07.2017.

PUC is proposal for permission to lay Optical Fibre Cable from Km 189.400 (Rampur Bypass) to Km 237.400 (Bypass Before Bareilly), recommended by PD, PIU, Moradabad vide above cited letter dated 18.07.2017.

The proposal has been examined as per recommendation of PD, PIU, Moradabad and found in order.

As per policy matter- Administrative/ Finance (46/2009) dated 04.02.2009 and NHAI office order No. 11041/262/2009- Admn, dated 09.09.2009, Regional Office has been made responsible for examining the cases for permission of access to retail outlets/private properties, laying of pipelines (underground)/cables/crossing etc and grant permission along NHs.

In view of above and as per recommendation of PD, Moradabad, In-principle approval may be accorded with direction to PD to follow the Guidelines issued vide MoRT&H Circular No. RW/NH-33044/27/2005-S&R(R) (Pt), dated 07.08.2013 and to ensure the compliance of following conditions before according permission:

(i) The laying/crossing will be done as per the proposed/agreed location route at extreme edge of ROW as per proposed agreed methodology.
(ii) It may essentially be ensured by the PD before start of laying of OFC by the Applicant at site, restoration/maintenance be done. While execution of work at site the filling of trenches with appropriate material in proper layer and its compaction may be achieved as per actual by the agency engaged and the site could be reinstated to its original.
(iii) The crossing of NH is to be done through trenchless technology (HDD) only as per agreed specifications.
(iv) The top of the casing pipe/ducts should be more than 2 mtr below the surface of the road.
(v) The Licensee shall have to provide the safety measures like barricading danger lighting and other necessary caution boards while executing the work.
(vi) Appropriate fees be levied for use of NH land for laying of Utilities as per Ministry Circular no. RW/NH-33044/27/2005-S&R(R)(Pt), dated 07.08.2013.
(vii) Undertaking to the following effect may be taken from the applicant and made part of the agreement:-
    (a) The grant of license shall be subject to the requirement of the licensed land by the Government for the purpose of development of National Highway. In case such a requirement arises any time during the license period, the Government will revoke the license without in any manner being liable for disruption of

(Jai Ram Singh) 19/5/17
Divisional Engineer
Telecom Project
Moradabad.

प्रभागीय निदेशक (जोगेन्द्र सिंह)
सामाजिक वानिकी प्रभाग, 31-10-17
रामपुर

67

152

services. If additional land acquisition is feasible and not prohibitively costly, the utilities can be permitted to be shifted by the licensee at his own cost, in the additional land so acquired.

(b) No licensee shall claim exclusively right on the right of way and any subsequent user will be permitted to use the right of way, either above or below, or by the side of the utilities laid by the first user, subject to technical requirement being fulfilled. Whether the technical requirements are fulfilled or not, shall be decided by Highway administration/ Government is the Government would not be accountable or liable manner whatsoever.

(c) No use of NH ROW will be permitted for any purpose other than that specified in the license deed, eg. for Advertisement towers, statues, structures etc.

(d) Grant of licence is subject to the licensee satisfying (a) minimum disruption of traffic and (b) no damage to the highways.

(viii) Three copies of as laid drawings of utilities (hard and soft copies) shall be submitted to highway authorities for verification and record within a month of completion of works.

(ix) The permission may be terminated immediately on violation of the agreed terms & conditions.

(x) The execution of the proposal by the Applicant would not hinder the future six laning, if any, at the particular location and if required then the applicant would ensure shifting of their utility at their own cost without any liability to NHAI in a time bound manner prescribed by NHAI.

(xi) Agreement should be executed in triplicate and each party to this agreement may retain one stamped copy.

(xii) Ensure that the submitted Agreement is in prescribed format as per Ministry circular no. RW/NH-33044/27/2005-S&R (R) (Pt). dated 07.08.2013 for execution with the applicant, and BG be obtained as per the circular.

(xiii) Work programme from the Applicant may be obtained and ensure timely completion.

(xiv) The compliance of various undertakings given by the Applicant may be ensured before and after signing of license agreement, as the case may be in the interest of safety of road users and NHAI.

(xv) If any, underground cable or other utility is encountered in the process of laying, then the same will be laid carefully to prevent the cable/ utility from any damage occurs in the laying process of cable then same will be compensated by the applicant.

(xvi) In future, if NHAI/ Road Authority need the said land for widening or for any other purpose, the Licensee shall be bound to shift the utility at their own cost and NHAI shall not share any cost.

(xvii) IRC 98-1997 be complied.

Submitted for perusal/ Approval, please

Approved.

Received
7-7-017

Regional Officer, West (UP)

PD, PIU Moradabad

(Jai Ram Singh)
19-5-17
Divisional Engineer
Telecom Project
Moradabad.

68 70 153

Scanned by CamScanner

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग, रामपुर।

पत्रांक 2047/आर.एम.एल. दिनांकः– 16/11/17

सेवा में,

डिवीजनल इंजीनियर
टेलीकॉम प्रोजेक्ट
बी0एस0एन0एल, मुरादाबाद

विषयः– जनपद रामपुर में स्टार चौराहा से शाहबाद गेट होते हुए रा0मा0–87 तक एवं बरेली गेट से पनबड़िया, रामपुर तक मार्गों पर एच0डी0डी0 मशीन द्वारा ओ0एफ0सी0 केबिल डालने हेतु रोड कटिंग की अनुमति के सम्बन्ध में।

सन्दर्भः– आपका पत्रांक **DETP/MRD/T-751 Dated 01-09-2017**

आपके उपरोक्त संदर्भित पत्र के क्रम में अवगत कराना है कि उक्त सदर्भित पत्र में उल्लिखित मार्गों में से उपरोक्त विषयक अंकित मार्ग ही निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0, रामपुर के अधीन है। उक्त विषयक मार्गों पर एच0डी0डी0 मशीन द्वारा टलीकॉम डक्ट/ओ0एफ0सी0 केबिल डालने हेतु मांगी गयी वांछित अनुमति निम्न प्रतिबन्ध के साथ प्रदान की जाती है:–

- उक्त खुदाई कार्य हेतु वांछित धनराशि का बैंक ड्राफ्ट अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0, रामपुर के नाम प्रत्येक दशा में कार्य करने से पूर्व जमा करना होगा, अन्यथा की दशा में निम्न अनुमति मान्य नही होगी।
- खुदाई का कार्य प्रस्तुत किये गये पत्र तथा ड्राईग के अनुरूप अवगत करायी गयी दूरी पर अथवा मार्ग की पटरी के अन्तिम छोर पर ही खुदाई का कार्य कराया जाये।
- खुदाई के कार्य हेतु एकत्रित की गयी सामग्री मार्ग पर नही रखी जायेगी एव मार्ग की लेपित सतह किसी भी प्रकार से क्षति नही होनी चाहिए। कार्य समाप्त होने के बाद अवशेष सामग्री तत्काल कार्यस्थल से हटा दी जायेगी।
- कार्य से यातायात किसी भी प्रकार से बाधित नही होना चाहिए।
- कार्य से मार्ग के किनारे खडे हुये पेडों को किसी भी प्रकार से क्षति नही होनी चाहिए।
- नाली, नाला इत्यादि के लिए अपने खर्च पर रेलिंग अथवा पैरापिट से बाहर की ओर सपोर्ट ब्रैकेट लगाकर डक्टिंग का कार्य कराना होगा।
- डक्टिंग से भूगिगत विद्युत लाईन, पेय जल आपूर्ति लाईन, गैस लाईन अथवा किसी अन्य कम्पनी की ओ0एफ0सी0 केबिल व सीवरेज को किसी प्रकार का नुकसान पहुंचता है तो उसकी पूर्ण जिम्मेदारी आपकी/कम्पनी की होगी।
- खुदान के समय बैरिकेटिंग, आपात रोशनी व्यवस्था तथा चेतावनी बोर्ड आदि का प्राविधान आपको/कम्पनी को अपने व्यय पर करना होगा।
- यदि खुदाई कार्य के लिए ट्रैफिक ड्राईवर्जन की आवश्यकता होगी तो इस हेतु आपको/कम्पनी को अपने व्यय पर समस्त कार्यवाही करनी होगी।
- आवश्यकता के अनुरूप वन विभाग से अनुमति अपने स्तर पर लेनी होगी।
- उपरोक्त शर्तो का अनुपालन न होने की दशा में, उपरोक्तानुसार दी गयी अनुमति को किसी भी समय निरस्त करने का सर्वाधिकार विभाग का होगा।

उपरोक्त अनुमति आपके अनुरोध पर अस्थाई रूप से दी जा रही है, बैंक ड्राफ्ट जमा करने के पश्चात ही उक्त अनुमति प्रभावी होगी, तत्पश्चात ही कार्य प्रारम्भ कराना सुनिश्चित किया जाए।

15/11/17

(इं0 संजीव कुमार वर्मा)
अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0,
रामपुर

प्रभागीय निदेशक
सामाजिक वानिकी प्रभाग,
रामपुर
30-11-17

पत्रांक / दिनांकः– / /17

प्रतिलिपि सहायक अभियन्ता द्वितीय/श्री अखलाक हसन खां, अवर अभियन्ता, नि0ख0, लो0नि0वि0, रामपुर को सूचनार्थ एवं इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उक्त अनुमति से प्रभावित मार्ग की खुदाई की मरम्मत का प्रांकलन तीन दिन के अन्दर प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

(Jai Ram Singh) 30-11-17
Divisional Engineer
Telecom Project
Moradabad

अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0,
रामपुर

70 72 156

W/c

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड भवन, लोक निर्माण विभाग, बरेली

दिनांक 04/01/2017

पत्रांक- 3672/N.O.C

सेवा में,

भारत संचार निगम लि0,
डी–13/15, देव बिहार कॉलोनी,
मुरादाबाद।

विषयः– **एन0एच0ए0आई0 बाईपास रोड परसाखेड़ा बरेली से चौपला बरेली में ओ0एफ0सी0 केबल डालने के अनापत्ति के सम्बन्ध में।**

सन्दर्भः– आपका पत्रांक DETP/MRD/T-751 दिनांक 01.12.2016

उपरोक्त संदर्भित पत्र के क्रम में अवगत कराना है कि मार्ग पर केबिल डालने की अनापत्ति निम्न शर्तों के साथ प्रदान की जाती है :–

1 एन0एच0ए0आई0 बाईपास रोड परसाखेड़ा बरेली से चौपला बरेली में पटरी के किनारे ओ0एफ0सी0 केबिल मार्ग की लेपित सतह के किनारे से 3.50 मी0 दूर केबिल डाली जा सकती है। वन संरक्षित क्षेत्र में केबिल से पूर्व वन विभाग से अनुमति लेना आवश्यक है।

2 खुदाई के उपरान्त मार्ग की मरम्मत का कार्य लो0नि0वि0 की विशिष्टियों के अनुसार आपके विभाग द्वारा सम्पादित किया जायेगा। कार्य पूर्ण होने के 72 घण्टे के अन्दर कार्य स्थल यथास्थिति में कर दिया जायें।

3 केबिल डालते समय यातायात की सुरक्षा हेतु कॉसन बोर्ड एवं अन्य आवश्यक सूचना पट आपके द्वारा लगाये जायेगें।

4 केबिल डालते समय यातायात में कोई बाधा उत्पन्न नहीं होनी चाहिए।

5 अनुमति केवल उसी अवधि के लिये प्रभावी होगी जिस अवधि के लिये प्रदान की गयी है।

6 केबिल डालने के लिये खोदे गयें गड्ढ़े के चारों ओर से बैरिकेडिंग/टीन आदि लगाकर सुरक्षित किया जायें।

7 भूमिगत केबिल बिछाते समय अन्य भूमिगत सेवाओं और सुविधाओं को क्षति नहीं पहुँचानी चाहिये। यदि किसी भी प्रकार की क्षति होती है तो क्षति की मरम्मत इत्यादि की पूर्ण जिम्मेदारी आपकी होगी।

8 केबिल डालते समय या सम्बन्धित अन्य कार्यों के सम्पादन के समय या पश्चात् जन सुरक्षा का पूर्ण दायित्व कम्पनी का होगा।

9 यह अनुमति दिनांक 02.02.2017 तक ही प्रभावी मानी जायेगी।

अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड भवन, लो0नि0वि0, बरेली

पत्रांक /   दिनांक /

प्रतिलिपि :–

1 अवर अभियन्ता (प्रावै0), निर्माण खण्ड भवन, लो0नि0वि0, बरेली को सूचनार्थ प्रेषित।

अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड भवन, लो0नि0वि0, बरेली

(Jai Ram Singh) 1-02-2017
दूर संचार ... मुरादाबाद-244001

155

(69)   (71)

Scanned by CamScanner